



क्रमांक : - एफ 4() आकाशि/नि0सं0/2024/ 131

दिनांक:- 20/06/24

संशोधन आदेश

विभाग के पत्रांक राजकाज रेफरेन्स नं. 6838010 दिनांक 29.04.2024 तथा 8032847 दिनांक 13.06.2024 द्वारा सत्र 2024-25 के लिए पूर्व संचालित निजी महाविद्यालयों हेतु विभागीय एन.ओ.सी. पोर्टल पर आवेदन करने हेतु तिथियों में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है:-

समय सारणी

क्रम संख्या	प्रकरण	आवेदन की तिथियां	शुल्क की राशि
1	पूर्व संचालित महाविद्यालयों के निम्न प्रकरण:- अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि/स्थायी अनापति प्रमाण-पत्र /सहशिक्षा परिवर्तन /महिला शिक्षा परिवर्तन /नाम परिवर्तन /स्थान परिवर्तन/प्रबन्ध अन्तरण / नवीन विषय संकाय ध्वन्नातकोतर क्रमोन्नयन सामान्य निरीक्षण शुल्क	30 जून 2024 तक	सामान्य आवेदन शुल्क
2	पूर्व संचालित महाविद्यालयों के निम्न प्रकरण:- अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि/स्थायी अनापति प्रमाण-पत्र /सहशिक्षा परिवर्तन /महिला शिक्षा परिवर्तन /नाम परिवर्तन /स्थान परिवर्तन/ प्रबन्ध अन्तरण / नवीन विषय संकाय ध्वन्नातकोतर क्रमोन्नयन सामान्य निरीक्षण शुल्क	01 जुलाई 2024 से 07 जुलाई 2024 तक	सामान्य आवेदन शुल्क + रु.25000/- विलम्ब शुल्क
3	पूर्व संचालित महाविद्यालयों के निम्न प्रकरण:- अस्थायी अनापति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि/स्थायी अनापति प्रमाण-पत्र / सामान्य निरीक्षण शुल्क	08 जुलाई 2024 से 14 जुलाई 2024 तक	सामान्य आवेदन शुल्क + रु.25000/- विलम्ब शुल्क + रु.10000/- अतिरिक्त विलम्ब शुल्क

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
5. प्राचार्य/नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय ।
6. समस्त निजी महाविद्यालय, राजस्थान ।
7. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. रक्षित पत्रावली ।

RajKaj Ref
8220699



Signature valid

Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Commissioner
Date: 2024.06.20 15:04:47 IST
Reason: Approved